GOVIND GURU TRIBAL UNIVERSITY

Collectorate Campus, BANSWARA-327001 (RAJASTHAN) INDIA

Website : www.ggtu.ac.in, email : vcselection20@gmail.com - 02962-246222

No. : Estt./VC Appt. /GGTU/2020/ 2637 **DATED : 23/05/2020**

Notification / Advertisement including eligibility for the post of Vice-Chancellor

The Chairman, Search Committee invites applications from the eligible candidates, i.e. distinguished academicians having **a minimum of ten years experience** as Professor in a University or a College or ten years experience in an equivalent position in a reputed research and / or academic administrative organization and of highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment.

2. The appointment will be for a period of 03 years or up to the age of 70 years whichever is earlier. The Vice-Chancellor shall receive such pay and allowances as may be determined by the State Government from time to time.

3. The candidates are advised to send hard copy of the application to the Chairman, Search Committee C/O The Registrar, Govind Guru Tribal University, Collectorate Campus, Banswara–327001 and soft copy through Email Id- **vcselection20@gmail.com**

4. **"Application for the post of Vice-Chancellor, Govind Guru Tribal University, Banswara"** and **"CONFIDENTIAL"** may be super scribed on the envelop.

5. The candidates are required to download the application format **(Standard Format for C.V.)** from the Govind Guru Tribal University, Banswara Website **www.ggtu.ac.in / www.rajbhawan.rajasthan.gov.in**.

6. The Last date of receipt of application is 13th June, 2020 (Saturday) by 5.00 pm.

Registrar

No. : Estt./VC Appt. /GGTU/2020/ 2638-42 **DATED : 23/05/2020**

Copy forwarded for information and necessary action :-

1. The O.S.D., Higher Education, Governor's Secretariat, Raj Bhawan, Jaipur.
2. The Joint Secretary, Higher Education, Education (Gr.-IV) Department, Government of Rajasthan, Jaipur.
3. Financial Advisor, Govind Guru Tribal University, Banswara.
4. P.S. to Vice-Chancellor, Govind Guru Tribal University, Banswara.

Registrar

Annex-I

Standard format for C.V.

Latest passport size color photograph

1. Full Name :- …………………………….
2. Short Name :-…………………………….
3. Father's Name:- …………………………
4. Date of Birth:- …………………………...
5. Present address:- …………………..........
6. Permanent address:-……………………...
7. Present/ Last position held with full address:- ……………………………… …………………………………………..…………………………………... ……………………………………...…………………………………….. ……………………………………………………………………………....
8. Telephone (with STD code):- -- Landline (0)………………...... Landline(R) : ..……………..... Fax No. ……………………... Mobile No. …………………
9. Email :………………………………………………………………....
10. Website, if any : ………………………………………………………...
11. Summary (Not more than 300 words) about the applicant :

....

....

....

....

....

....

....

12. Academic Qualifications (beginning from the first degree received):-

S. No	Degree/Course	Year	Name of University	Remarks if any

13. Teaching experience(from date of first appointment):-

S. No.	Position	Duration		Total Duration in years	Remarks if any
		From	To		
1.	Assistant Professor				
2.	Associate Professor				
3.	Professor				
4.	Other				

13. (a) Participation and contribution in relevant areas in higher education

	Organisation	Area of specialisation
Visiting Professor		
Resource Person		
Others (Specify)		

13. (b) Involvement with formulation of academic programmes:

S.No	Nomenclature of Innovative Academic Programmes formulated	Date of approval by Academic Council	Year of Introduction

13. (c) Important MoUs formulated for academic collaborations:

S.No	MoUs formulated	Name of Agencies/Departments involved	Year of MoU

13. (d) Position of Chairs:

S.No	Name of Chair	Name of Agencies/ Departments involved	Period of holding the Chair

14. Administrative Experience :-

S. No.	Name of Institution	Position Held	Task / responsibilities assigned	Duration		Duration in year	Remarks if any
				From	To		

15. Research Experience:-

S. No.	Name of Institution	Position Held	Research details	Duration		Duration in year	Remarks if any
				From	To		

16.Special achievement:-

S. No.	Name of Institution	Position Held	Period	Detail of special achievement

17. Publications output:-

(a) No. of research paper published in international journals:-...............................
(b) No. of research paper published in national journals:-.....................................
(c) Books authored : ....
(d) Books edited/chapter : ....
(e) Popular articles : ....
(f) Monograph : ....
(g) Training modules : ....
(h) Paper presented in international conference/seminar/workshops :....................
(i) Paper presented in national conference/seminar/workshops :............................
(j) Patents, if any : ....
(k) Any other publications : ....

Note:- List of publications as above should invariably enclosed with C.V.

18. Awards/Honors/Merit Certificates/Applications/Fellow etc:

S. No	Name of Award	Year	Details of awards/	Contribution for which award/ given

19. Association with International institutions / agencies

S. No	Name of Institution	Nature of association	Period with details		Contribution done
			From	To	

20. Association with National level institutions / agencies.

S. No.	Name of Institution	Nature of association	Period with details		Contribution done
			From	To	

21. Consulting experience :

List key consulting assignments undertaken :

S. No	Client/Organisation’s name	Nature of assignment	Duration of assignment

22. Guide assignments.

S. No	Level	No. of students guided
1.	P.G.	
2.	M. Phil	
3.	Ph.D	
4.	Post Doctorate	

23. Your vision for the University (upto 500 words) :

24. Details of References, if any

S.No.	Name of the Referee	Post Held by Referee	Email	Phone No.	Mobile

25. Are there are any criminal or civil cases pending against you in any court of law in India or abroad or have you ever been convicted by any Civil/Criminal court in India or abroad? YES/NO

[In case of yes, copies of relevant documents may be attached(in favour of /disfavour) for reference.]

26. Is/are there any Departmental enquiry(ies) and/or preliminary enquiry(ies) pending against you and/or you have been penalized resultant to any Departmental enquiry(ies). YES/NO

[In case of yes, copies of relevant documents may be attached(in favour of /disfavour) for reference.]

DECLARATION BY THE CANDIDATE

I solemnly declare / affirm that :

1. The particulars furnished by me in the said application form are correct and I have not concealed or misrepresented any facts in it.
2. I am a person of good conduct and uphold principles of academic integrity.

Signature of Applicant

523
70

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

वैशाख 15, शुक्रवार, शाके 1939– मई 5, 2017
Vaisakha 15, Friday, Saka 1939-May 5, 2017

भाग 4 (क)
राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग
(ग्रुप–2)
अधिसूचना
जयपुर, मई 05, 2017

संख्या प. 2 (14) विधि/2/2017 :–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 4 मई, 2017 को प्राप्त हुई, एतदद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा (संशोधन) अधिनियम, 2017

(2017 का अधिनियम संख्यांक 18)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 4 मई, 2017 को प्राप्त हुई)

गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा अधिनियम, 2012 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा (संशोधन) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2012 के राजस्थान अधिनियम सं. 31 की धारा 11 का संशोधन.- गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 31), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम

524

कहा गया है, की विद्यमान धारा 11 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"11. कुलपति.- (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी भी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद् नहीं है।

(3) कुलपति, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी खोजबीन समिति द्वारा सिफारिश किये गये पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से, राज्य सरकार के परामर्श से, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा-

(क) बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति;

(ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति; और

(घ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति,

और कुलाधिपति, इनमें से किसी एक व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

(4) विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालयों से असंबद्ध उच्चतर शिक्षा क्षेत्र का कोई विख्यात व्यक्ति ही खोजबीन समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किये जाने के लिए पात्र होगा।

(5) खोजबीन समिति कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए कम से कम तीन व्यक्तियों का और अधिकतम पांच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी और सिफारिश करेगी।

(6) कुलपति के चयन के प्रयोजन के लिए, खोजबीन समिति किसी लोक सूचना के माध्यम से पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करेगी और कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों के नामों पर विचार करते समय, खोजबीन समिति, शैक्षणिक उत्कृष्टता, देश में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में प्रदर्शन, और शैक्षणिक तथा प्रशासनिक शासन में पर्याप्त अनुभव को, उचित महत्व देगी और इसके निष्कर्षों को लेखबद्ध करेगी और उन्हें कुलाधिपति को प्रस्तुत किये जाने वाले पैनल के साथ [illegible].

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

श्रावण 25 शुक्रवार, शाके 1941–अगस्त 16, 2019
Sravana ,25 Friday, Saka 1941–August 16, 2019

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 14, 2019

संख्या प.2(13)विधि/2/2019.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 अगस्त, 2019 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 17)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 अगस्त, 2019 को प्राप्त हुई)

विश्वविद्यालयों की विधियों को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "विश्वविद्यालय की विधि" से अनुसूची में विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय अधिनियम अभिप्रेत है; और

(ख) "अनुसूची" से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है।

3. विश्वविद्यालयों की विधियों का संशोधन.- (i) अनुसूची के स्तम्भ सं. 2 में यथा उल्लिखित प्रत्येक विश्वविद्यालय की विधि के सामने स्तम्भ सं. 4 में यथा उल्लिखित धारा की विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) कोई भी व्यक्ति, कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष

पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला और सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचार और संस्थानिक प्रतिबद्धता के उच्चतम स्तर वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद् न हो।"; और

(ii) अनुसूची के स्तम्भ सं. 2 में यथा उल्लिखित प्रत्येक विश्वविद्यालय की विधि के सामने स्तम्भ सं. 4 में यथा उल्लिखित विद्यमान धारा के पश्चात्, स्तम्भ सं. 5 में यथा उल्लिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"**कुलपति का हटाया जाना.-** (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार की रिपोर्ट पर या अन्यथा यदि किसी भी समय, कुलाधिपति की राय में, कुलपति इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने में जानबूझकर लोप या इंकार करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है, या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत होता है कि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित के लिए हानिकर है तो कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, आदेश द्वारा, कुलपति को हटा सकेगा:

परन्तु कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, ऐसा आदेश करने से पूर्व जांच लम्बित रहने के दौरान, कुलपति को किसी भी समय निलंबित कर सकेगा:

परन्तु यह और कि कुलाधिपति द्वारा कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि कुलपति को उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी जांच के लंबित रहने के दौरान या उसको ध्यान में रखते हुए कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, यह आदेश दे सकेगा कि अगले आदेश तक-

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कृत्यों का पालन करने से विरत रहेगा, किन्तु वह उन परिलब्धियों को प्राप्त करता रहेगा जिनका वह अन्यथा हकदार था;

(ख) कुलपति के पद के कृत्यों का पालन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।"।

अनुसूची
(धारा 3 देखिए)

क्र.सं.	शीर्षक	अधिनियम सं.	उपबंध का सं.	नये उपबंध का सं.
1	2	3	4	5
1	राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, 1946		धारा 12	धारा 12क
2	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय अधिनियम, 1962	1962 का अधिनियम सं. 17	धारा 11	धारा 11क

3	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय अधिनियम, 1962	1962 का अधिनियम सं. 18	धारा 11	धारा 11क
4	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम, 1987	1987 का अधिनियम सं. 35	धारा 8	धारा 8क
5	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987	1987 का अधिनियम सं. 38	धारा 19	धारा 19क
6	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 2003	2003 का अधिनियम सं. 13	धारा 11	धारा 11क
7	कोटा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003	2003 का अधिनियम सं. 14	धारा 11	धारा 11क
8	राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर अधिनियम, 2012	2012 का अधिनियम सं. 27	धारा 11	धारा 11क
9	महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर अधिनियम, 2012	2012 का अधिनियम सं. 28	धारा 11	धारा 11क
10	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अधिनियम, 2012	2012 का अधिनियम सं. 29	धारा 11	धारा 11क
11	गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा अधिनियम, 2012	2012 का अधिनियम सं. 31	धारा 11	धारा 11क

महावीर प्रसाद शर्मा,

प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, August 14, 2019

No. F. 2(13)Vidhi/2/2019.- In pursuance of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Vishwavidyalayon Kee Vidhiyan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019 (2019 Ka Adhiniyam Sankhyank 17):-

(Authorised English Translation)
THE UNIVERSITIES' LAWS (AMENDMENT) ACT, 2019
(Act No. 17 of 2019)

(Received the assent of the Governor on the 14th day of August, 2019)

An
Act

further to amend the Universities' Laws.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Universities' Laws (Amendment) Act, 2019.